

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भवानी सिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 48 / 2022</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>04.04.2022</p>	<p>अपीलार्थी भवानी सिंह पुत्र शंकरराम ग्राम देवगढ़, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.12.2021 में विमला पत्नी भवानी सिंह का नाम गोपालसर वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है जिसके विवरण हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2020 पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनाार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	